न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उत्पाद वाद सं0—596/17

01.07.2026

अभियुक्तगण 1. मदन चौहान एवं 2. रामविलास चौहान की हाजिरी है। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त उपस्थित हुए। वाद पुकारा गया वाद के पुकार पर उभयपक्षों का सुना। अभिलेख आदेश हेतु दूसरी पाली में प्रस्तुत करें।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,

पश्चात् दूसरी पाली

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। यह भी कहा गया है कि अभियुक्तगण 1. मदन चौहान एवं 2. रामविलास चौहान के विरुद्ध बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 47(a) के अंतर्गत दिनांक 28.01.2025 को आरोप गठित किया गया है। इसके पश्चात् न्यायालय द्वारा साक्षियों को सम्मन निर्गत किया गया है एवं दिनांक 19.06.2026 को अभियोजन पक्ष के मौखिक निवेदन पर साक्ष्य बंद किया गया। इसलिए अभियुक्तगण 1. मदन चौहान एवं 2. रामविलास चौहान को दोषमुक्त किया जाय।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद के अभियुक्तगण 1. मदन चौहान एवं 2. रामविलास चौहान को बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 47(a) के अंतर्गत दिनांक 28.01.2025 को आरोप गठित किया गया है। परंतु न तो अभियोग पत्र के नामित साक्षी उपस्थित हुए हैं और न ही अभियोजन द्वारा किसी भी साक्षी का साक्ष्य कराया गया है। दिनांक 30.06.2026 को धारा 313 द0प्र0स0 के अंतर्गत बयान लिया गया है। यह मामला सन् 2017 की है। पुराने वादों को त्वरित निष्पादन करना अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में इस पुराने वाद को लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला साक्ष्य विहीन है।

अतः अभियुक्तगण 1. मदन चौहान एवं 2. रामविलास चौहान के विरुद्ध बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 47(a) के अंतर्गत लगाये गये आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है तथा इन्हें एवं इनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्वों से भी स्वतंत्र किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में प्रतिरक्षित करायें।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश